37

प्रस्पात का उत्पादन

*360. श्री कलास नारायण सारंग : डा० जिनेन्द्र कुमार अनि :

नया इत्यात मंत्री यह बताने की ऋषा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात का उत्पादन इसकी मांग की पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ;
- (ख) यदि हां, तो इसकी ग्रौसत वार्षिक मांग भीर उत्पादन का मात्रावार व्योरा क्या है 🗧
- (ग) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग की विनियंतित किये जाने के पश्चात्, कुछ स्वदेशी व्यावसयिक प्रतिष-क्षानों ने देश में इस्पात का उत्पादन करने में रुचि दर्शायी है; और
- (घ) यदि हां, तो कितने विदेशी त्यावसार्विक प्रतिष्ठानों ने इस्पात के उत्पादन के लिए देश में अपने स्थापित करने हेतु जुन, 1992 के अस्त तक निर्णय कर लिया है की उत्पादन क्षमता कितनी

इस्पात मंत्राक्षय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):(क) जी, हो।

(ख) वर्ष 1991-92 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की ग्रवधि के लिए 156.2 लाख टन परिसज्जित इस्पात की श्रीसत वार्षिक मांग की तुलना में उसी भवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात का ग्रीसत वार्षिक उत्पादन 135.8 लाख टन हमा ।

(ग) की हा .

(घ) हालाकि नई इस्पात परियोजनाम्नों को कार्यान्वित करने ग्रयता विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय कम्पनियों में विदेशी उठमों/ स्रिवासी भारतीयं दारा सम्बं भागीदारी के लिए कुछ मामलों में मज्री दे दी गयी है परन्तु इस्पात के उत्पादन के लिए देश में श्रपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए विदेशी व्यावसायिकः उग्रमों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Consumption of fertilizers in GaBtur DisMct of Andhra Pradesh

£2423. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) what is the total quantity of fertilisers used in Guntur district of Andhra Pradesh per annum;
 - (b) what is the value of the same; and
- (c) what is the rank of this district m fertiliser consumption in the entire country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b)

The average per annum consumption of fertilisers in Guntur district of Andhra Pradesh in the last five years is 1.62 lakh tonnes N+P+K at approximate value of Rs. 90 crores.;

(c) During the year 1990-91, Guntur district stood first in fertiliser consumption.

प्रदेश में नकटी फसलों को पैदासार

2424. श्री राम सिंह राउंदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों को कितनी पैदाबार हुई थी ;

£Previously Unstarred Question 146 transferred from 23rd July, 1992.

- (ख) सरकार ने 1991-92 के वर्ष के दौरान, नकदी फसलों की पैदावार को बढाने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की थी; ग्रौर
- (ग) उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों की खेती के क्षेत्र को इड़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसलों ग्रर्थात, तिलहन का 13.50 लाख मीटरोक टन गन्ने का, 1040 लाख मीटरीटन, कपास की 0.15 लाख गाउँ (प्रत्येक 170 कि0ग्रा**0) जट की 0.03 ला**ख गांठें (प्रत्येक 180 कि 0 प्रा0) का कूल उत्पादन होने का अनुमान है।

- (ख) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के ग्रंतर्गत 409.50 लाख रुपए, गहन कपास विकास कार्यक्रम के लिए 6.83 लाख रुपए और विशेष जुट विकास कार्यक्रम के लिए 24.00 लाख रुपए की सहायता दी गई है।
- (ग) सरकार की सहायता का मुख्य बल नगदी फसलों के भू-क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने पर दिया गया है। भारत सरकार ने खरीफ की परती भूमि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया है तथा श्रन्तः फसल पद्धति श्रौर उत्तर-वर्ती फसल पद्धति पर वल दिया है ताकि नकदी फसलों को खेती को ग्रपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जा सके।

सुखाग्रस्त सध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सहायता

2425 श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या कृषि मंत्री यह बता हैं की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को इंदौर खंडपीठ ने भ्रपने 17 जून, 1992 के दिशा-निर्देश में केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि वह

मुखे की स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर राहत राशि प्रदान करे ;

- (ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सर-कार ने माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार को निर्धारित राशि प्रदान कर दी है;
- (ग) यदि नहीं, तो कितनी सुखा राहत राशि प्रदान की जायेगी और यह राशि कब तक दे दी जायेगी, ग्रीर
- (घ) क्या उक्त राशि केन्द्रीय सुखा श्रध्ययन दल द्वारा किये गये ग्राकलन के • ग्रनुरूप होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलापल्ल्ली रामचन्द्रन) : (क) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर ने दिनांक 17-6-92 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि यदि केन्द्र सरकार ने इस राशि का पहले ही अनुमान लगा लिया है जो इसके अनुसार सुखा राहत हेत् मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाना देय है, तो वह राशि तुरन्त निर्मुक्त की जायेगी एवं सूखा राहत उद्देश्य के लिए विशेषकर 3 सप्ताहों के भीतर राज्य के प्राधिकारियों के हाथों सुपूर्व कर दी जायेगी ।

(ख) से (घ) सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में स्थिति ऐसी व्यापक ग्रौर गम्भीर नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके निपटान की जरूरत पड़े। ग्रतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह प्रपेक्षित नहीं है कि वह ग्रापदा राहत निधि के प्रावधानों से अधिक कोई ग्रतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करे। तथापि, राहत उपायों के लिए राज्य सरकार के संसोधनों को बढ़ाने हेतु, भारत सरकार ने श्रप्रिम रूप से प्रत्येक 6.9375 करोड़ रूपए की ग्रापदा राहत निधि के केन्द्रीय शेयर की दूसरी एवं तीसरी किस्त निर्मुक्त की हैं।